



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127928

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19486/2026

रवीन्द्र यादव उर्फ रवि यादव

... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : जनार्दन यादव, मणिकान्त यादव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. पीड़िता की ओर से श्री बृजेश कुमार यादव, अधिवक्ता द्वारा आज एक संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र, वकालतनामा सहित, दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव, पीड़िता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 327 सन् 2006, धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता, थाना- महाराजगंज, जनपद- आजमगढ़ में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.12.2006 को दिनांक 07/08.12.2006 की मध्यरात्रि में घटित कथित घटना के संबंध में पंजीकृत की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को नामजद किया गया है तथा यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान प्रकरण की पीड़िता को उसके द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता बालिग थी तथा **अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



वह बिना किसी प्रलोभन, दबाव अथवा बल प्रयोग के अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से स्वेच्छा से आवेदक के साथ गई थी। घर से चले जाने के उपरान्त आवेदक एवं पीड़िता ने विधिपूर्वक विवाह कर लिया तथा जनपद फरीदाबाद (हरियाणा) में साथ रहने लगे। आवेदक एवं पीड़िता के वैवाहिक संबंध से दिनांक 31.12.2007 को एक पुत्र का जन्म हुआ। आवेदक ने अपने जीवन पर खतरे की आशंका के कारण जनपद फरीदाबाद (हरियाणा) में निवास स्थापित कर लिया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एवं पीड़िता वर्ष 2020 तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहते रहे, किन्तु कुछ वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण पीड़िता ने आवेदक का साथ छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। तत्पश्चात् उसका विवाह जनपद बलिया में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ तथा उक्त वैवाहिक संबंध से दो बच्चों का जन्म हुआ। वर्तमान में पीड़िता जनपद बलिया स्थित अपने वैवाहिक गृह में सुखपूर्वक निवास कर रही है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को वर्तमान वाद के लंबित होने की कोई जानकारी नहीं थी तथा उसे इस वाद की जानकारी मई, 2026 में हुई। इसके पश्चात् उसने दिनांक 11.05.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और तभी से वह कारागार में निरुद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी तथा पीड़िता का कोई पता नहीं चल सका था।

6. पीड़िता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार यादव द्वारा एक संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि पीड़िता/शपथकर्ती अपनी स्वतंत्र इच्छा, स्वविवेक एवं सहमति से स्वेच्छा पूर्वक आवेदक के साथ गई थी; किसी भी समय आवेदक द्वारा उसके विरुद्ध किसी प्रकार का बल, दबाव, धमकी, प्रलोभन अथवा अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया। वह दिल्ली/फरीदाबाद में आवेदक के साथ उसकी पत्नी के रूप में रही तथा दोनों कई वर्षों तक शांतिपूर्वक साथ रहे। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से पीड़िता/ शपथकर्ती अपने मायके लौट आई और तत्पश्चात् उसका विवाह जनपद बलिया में किसी अन्य व्यक्ति के साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संपन्न हुआ। उसने आगे यह भी शपथपूर्वक कथन किया है कि वह वर्तमान वाद में आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

8. पीड़िता ने अपना संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें उसने यह कथन किया है कि उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपन्न हो चुका है, वह जनपद बलिया में निवास कर रही है तथा वर्तमान प्रकरण में वह आवेदक के विरुद्ध अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदक द्वारा कारागार में व्यतीत की गई निरुद्धि अवधि तथा उसके विरुद्ध किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया एक मामला स्थापित किया है।

10. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. आवेदक रविन्द्र यादव उर्फ रवि यादव, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, को उसके द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो भारी प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत किए जाने पर जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन कर लिया जाए।

यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(i) आवेदक इस आशय का एक अभ्यावेदन/प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए प्रकरण नियत हो और साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की दशा में विचारण न्यायालय को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क/भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अन्तर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक उक्त उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क/भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर (1) वाद के शुरू करने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत उसके कथन अभिलिखित किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसी त्रुटि को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

12. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, वह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षीगण की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून 2026

नितेन्द्र